DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

6 July, 2024

अग्निवीर मुआवजा

संदर्भ: *इस सप्ताह की शुरुआत में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया, कि जनवरी में बारूदी सुरंग विस्फोट में मारे गए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को सरकार से अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है।*

वित्तीय मुआवजे का ब्यौरा

- सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मिलने वाली 1.65 करोड़ रुपये की कुल मुआवजा राशि में विभिन्न घटक शामिल हैं:
  - समझौता ज्ञापन के तहत बीमा के रूप में केंद्र सरकार और वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले क्रमशः 48 लाख रुपये और 50 लाख रुपये।
  - अतिरिक्त 39,000 रुपये।
  - अनुग्रह राशि के रूप में 44 लाख रुपये दिए गए।
  - सेना कल्याण कोष से 8 लाख रुपये।
  - कार्यकाल पूरा होने तक वेतन शेष के रूप में 13 लाख रुपये।
  - अग्निवीरों के लिए एक अंशदायी योजना सेवा निधि से 2.3 लाख रुपये।

बीमा और मुआवजा प्रणाली

- नियमित सैनिक सेना समूह बीमा कोष में 5,000 रुपये मासिक योगदान करते हैं, जिससे 50 लाख रुपये का कवरेज सुनिश्चित होता है।
- अग्निवीरों को, अपने वेतन से योगदान न करने के बावजूद, इसी योजना के तहत 48 लाख रुपये का बीमा किया जाता है।
- बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी रक्षा वेतन पैकेज के तहत अग्निवीरों सहित रक्षा कर्मियों के लिए बीमा सुरक्षित करते हैं।

अनुग्रह राशि और अतिरिक्त मुआवजा

- सेवा से संबंधित मृत्यु या ऑपरेशन के दौरान शहीद होने पर अग्निवीरों के लिए 44 लाख रुपये अनुग्रह राशि के रूप में निर्धारित किए गए हैं।
- नियमित सैनिक दुर्घटना की परिस्थितियों के आधार पर 25 लाख रुपये से 45 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि के लिए पात्र हैं।
- सैन्य सेवा के कारण न हुई मृत्यु अनुग्रह राशि के लाभ के लिए योग्य नहीं हैं।

सेवा निधि और विशेष लाभ:

- अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से लागू सेवा निधि, सरकारी योगदान और ब्याज के साथ मृत्यु की तारीख तक जमा की जाती है।
- ड्यूटी पर या ऑपरेशन के दौरान शहीद अग्निवीरों को सेवा निधि घटक सहित चार साल तक की असेवा अवधि के लिए पूरा वेतन मिलता है।

नियमित सैनिकों के लिए विशेष लाभ

- नियमित सैनिकों को ग्रेच्युटी, मासिक पारिवारिक पेंशन और 25 लाख रुपये तक की मृत्यु ग्रेच्युटी जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं।
- सैन्य सेवा के कारण होने वाली मौतों के लिए, सैनिक के अंतिम वेतन के 60% के बराबर विशेष पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, जो अंतिम वेतन के 100% के बराबर होती है, कर-मुक्त होती है और ऑपरेशन में मारे गए सैनिकों के परिवारों को दी जाती है।

शैक्षिक और स्वास्थ्य लाभ

- ऑपरेशनल कारणों से शहीद होने वाले सैनिकों के बच्चों को स्कूल/कॉलेज की फीस, किताबें, परिवहन, छात्रावास शुल्क और वर्दी की लागत को कवर करने वाले शैक्षिक भत्ते मिलते हैं।
- शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष तक होती हैं, जो पात्र उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समर्थन करती हैं।
- नियमित सैनिकों और उनके परिवारों को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) से लाभ मिलता है, जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के समान चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करती है।

भुगतान संतुलन

संदर्भ*: RBI के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के चालू खाते ने 2023-24 वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में अधिशेष दर्ज किया।*

भारत के चालू खाता अधिशेष का अवलोकन

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के वित्त वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही के हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत का वर्तमान चालू खाता अधिशेष प्रदर्शन 11 तिमाहियों में पहला है।
- चालू खाता अधिशेष यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान भारत में जितना पैसा आया, उससे ज़्यादा बाहर गया।

भुगतान संतुलन (BoP) क्या है ?

- BoP, दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ किसी देश के लेन-देन का एक व्यापक रिकॉर्ड है, जिसमें चालू और पूंजी खाते दोनों शामिल हैं।
- यह रुपये की विनिमय दर, सॉवरेन रेटिंग और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

BoP के घटक

- **चालू खाता:**
  - वस्तुओं के व्यापार और सेवाओं के व्यापार (अदृश्य) में विभाजित।
  - वस्तुओं के व्यापार में कार और गैजेट जैसे भौतिक सामान शामिल हैं, जहाँ घाटा निर्यात की तुलना में अधिक आयात को दर्शाता है।
  - अदृश्य घटकों में सेवाएँ (जैसे, आईटी, पर्यटन), स्थानान्तरण (जैसे, प्रेषण) और आय (जैसे, निवेश आय) जैसे कारक शामिल हैं।
  - तिमाही (Q4 FY23-24) में वस्तुओं के व्यापार में कमी के बावजूद अदृश्य में अधिशेष के कारण अधिशेष देखा गया।
- **पूंजी खाता:**
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) जैसे निवेशों को रिकॉर्ड करता है।
  - Q4 FY23-24 में पूंजी खाते में $25 बिलियन का शुद्ध अधिशेष दिखाया गया, जो विदेशी निवेशों से होने वाले प्रवाह को दर्शाता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार**:
  - रुपये की विनिमय दर को स्थिर करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए अधिशेष निधियों को अवशोषित करके BoP को संतुलित करता है।
  - रुपये की मूल्यवृद्धि को रोकता है जो निर्यात वृद्धि में बाधा डाल सकता है।

BoP डेटा की व्याख्या

- **आर्थिक निहितार्थ:**
  - चालू खाता घाटा निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने वाली बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेत दे सकता है।
  - यह आयात को बढ़ावा देने वाली मजबूत घरेलू मांग को भी दर्शाता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- महामारी से संबंधित कारकों से प्रभावित वित्त वर्ष 20-21 का अधिशेष, अधिशेष के बावजूद आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं था।

- **नीतिगत अंतर्दृष्टि:**
  - विशेषज्ञों का सुझाव है कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.5%-2% का चालू खाता घाटा 7%-8% की सतत आर्थिक वृद्धि के साथ संरेखित होता है।
  - आर्थिक संदर्भ और चालकों के आधार पर सभी घाटे नकारात्मक नहीं होते हैं, न ही सभी अधिशेष सकारात्मक होते हैं।

दूरसंचार अधिनियम 2023

***संदर्भ**: केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 6-8, 48 और 59 (बी) के प्रवर्तन को राजपत्रित किया है, जो 5 जुलाई, 2024 से लागू होगा।*

- दूरसंचार अधिनियम 2023 भारत में दूरसंचार सेवाओं, नेटवर्क और स्पेक्ट्रम आवंटन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को अद्यतन और समेकित करता है।
- यह दूरसंचार प्रौद्योगिकी में प्रगति को समायोजित करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 जैसे पुराने कानूनों की जगह लेता है।
- समावेश (समावेश), सुरक्षा (सुरक्षा), वृद्धि (विकास), और त्वरित (उत्तरदायित्व) के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत (विकसित भारत) के दृष्टिकोण को साकार करना है।
- दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित, अधिनियम को 24 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और उसी दिन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2408(ई) दिनांक 21 जून, 2024 के बाद अधिनियम की धारा 1, 2, 10-30, 42-44, 46, 47, 50-58, 61 और 62 को 26 जून, 2024 से लागू किया गया।

➢ विधेयक की मुख्य बातें:

- **मौजूदा अधिनियमों का प्रतिस्थापन**: विधेयक का उद्देश्य भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 को प्रतिस्थापित करना है।
- **प्राधिकरण की आवश्यकता**: दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने और संचालित करने, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार का प्राधिकरण अनिवार्य होगा।
- **स्पेक्ट्रम आवंटन:** स्पेक्ट्रम आवंटन मुख्य रूप से नीलामी के माध्यम से होगा, सिवाय विशिष्ट संस्थाओं और उद्देश्यों के जिन्हें प्रशासनिक रूप से सौंपा जाएगा।
- **दूरसंचार सेवाओं का अवरोधन और निलंबन**: राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध की रोकथाम सहित अन्य कारणों से दूरसंचार को बाधित किया जा सकता है। इसी तरह के आधार पर दूरसंचार सेवाओं को भी निलंबित किया जा सकता है।
- **दूरसंचार अवसंरचना के लिए मार्ग का अधिकार:** सार्वजनिक और निजी संपत्ति पर दूरसंचार अवसंरचना बिछाने के लिए मार्ग के अधिकार का प्रयोग करने का प्रावधान विधेयक में शामिल है।
- **उपयोगकर्ता सुरक्षा उपाय**: उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ संदेशों को प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता और डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर बनाने जैसे उपायों को लागू किया जाएगा।

➢ मुख्य मुद्दे और विश्लेषण:

- **अवरोधित सुरक्षा उपायों का निर्धारण:** यह विधेयक अवरोधन से संबंधित प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देता है, जिससे निगरानी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **बड़े पैमाने पर निगरानी की संभावना:** ऐसी चिंताएँ हैं कि विधेयक में प्रावधान बड़े पैमाने पर निगरानी को सक्षम कर सकते हैं, जो संभावित रूप से गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- **तलाशी शक्तियों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव:** अनधिकृत दूरसंचार उपकरणों के लिए परिसर और वाहनों की तलाशी लेने की शक्तियों के बारे में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- **बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता:** उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता असंगत हो सकती है और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।
- **इंटरनेट-आधारित सेवाओं को शामिल करना**: विधेयक के तहत दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में इंटरनेट-आधारित सेवाएँ शामिल हैं।
- **केंद्रीकृत नियामक प्राधिकरण**: विधेयक केंद्र सरकार के तहत विनियामक कार्यों को समेकित करता है, बिजली और वित्त जैसे क्षेत्रों के विपरीत जहां ये कार्य स्वतंत्र नियामकों को सौंपे जाते हैं।
- **अपराधों में संशोधन करने की सरकार की शक्ति:** विधेयक की तीसरी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अपराधों को सरकारी अधिसूचना द्वारा जोड़ा, संशोधित या हटाया जा सकता है, जिससे संसदीय निगरानी पर बहस शुरू हो जाती है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

अटल इनोवेशन मिशन

हाल ही में, नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) ने अपने दूसरे बैच के कम्युनिटी इनोवेटर फेलो के स्नातक होने का उत्सव मनाया और नई दिल्ली में 'स्टोरीज ऑफ चेंज एडिशन 2' लॉन्च किया।

अटल इनोवेशन मिशन के बारे में:

- अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) भारत में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग की एक प्रमुख पहल है।
- इसे 26 अप्रैल, 2018 को लॉन्च किया गया था
- मिशन के लक्ष्यों में एक उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, अभिनव समाधान विकसित करना और वंचित क्षेत्रों तक पहुँचना शामिल है।
- इसकी पहलों में स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इनक्यूबेशन सेंटरों को विश्व स्तरीय मानकों पर अपग्रेड करना और प्रमुख अटल न्यू इंडिया चैलेंज शामिल हैं।
- इसकी योजना स्टार्टअप्स और एसएमई के लिए एक राष्ट्रीय लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान और विकास (एसबीआईआर) कार्यक्रम स्थापित करने की भी है।

भारतीय मानक ब्यूरो

हाल ही में, सरकार ने रसोई की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए BIS अनुरूपता अनिवार्य कर दी है, जिससे ISI चिह्न अनिवार्य हो गया है और गैर-अनुपालन दंडनीय हो गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में:

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन के विकास के लिए जिम्मेदार है।
- भारत में उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए BIS अधिनियम 2016 ने भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की।
- यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- भारत में बेचे जाने वाले कुछ उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन आवश्यक है।
- BIS अधिनियम, 2016 में BIS (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 शामिल हैं, जो सोने और चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाता है, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) का सदस्य है और आईएसओ मानकों को तैयार करने वाली तकनीकी समितियों के विचार-विमर्श में भाग लेता है। यह संसद के एक अधिनियम के तहत भारत की प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना का भी संचालन करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

Li-Fi तकनीक

हाल ही में, टेलीकॉम स्टार्टअप वेलमेनी को अपनी अभिनव Li-Fi (लाइट फ़िडेलिटी) तकनीक के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) पहल के तहत रक्षा मंत्रालय (MoD) से अनुदान मिला है।

Li-Fi तकनीक के बारे में:

- Li-Fi (लाइट फ़िडेलिटी) एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डिवाइस के बीच डेटा और स्थिति संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है।
- यह वाई-फाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो भाग के बजाय, बैंगनी (800 THz) और लाल (400 THz) के बीच दृश्यमान प्रकाश पर आधारित है। Li-Fi को वाई-फाई की तुलना में तेज़, सस्ता और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके लिए राउटर की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह तकनीक एलईडी लाइट बल्ब का उपयोग करके काम करती है जो मानव आंखों के लिए अगोचर प्रकाश दालों का उत्सर्जन करती है।
- जब डेटा संचारित करने की आवश्यकता होती है, तो एलईडी की चमक अल्ट्रा-हाई स्पीड पर दोलन करती है, जो 1s और 0s के बाइनरी कोड का प्रतिनिधित्व करती है।
- इसकी बैंड आवृत्ति 200,000 गीगाहर्ट्ज़ है, जो वाई-फाई की 5 गीगाहर्ट्ज़ से 100 गुना तेज़ है और 10 गुना तक सस्ती हो सकती है। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस, फ़ोन-टू-फ़ोन या फ़ोन-टू-टीवी संचार या विस्तारित या मिश्रित वास्तविकता जैसे उभरते उपयोग के मामलों में। फरवरी 2021 में, गुजरात के दो गाँव LiFi-आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले भारत के पहले स्मार्ट गाँव बन गए। जर्मन भौतिक विज्ञानी हेराल्ड हास ने पहली बार 2011 में एडिनबर्ग में TEDGlobal वार्ता के दौरान Li-Fi का अनावरण किया था।

अपातानी जनजाति

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति ने अपनी समृद्ध मौखिक लोक परंपराओं को दो पुस्तकों में संकलित करने का उत्सव मनाया: गंगू एलु, जिसमें तारो तल्लो द्वारा अपाटानी गीतों के पचास गीतात्मक छंद शामिल हैं, और मिजी नांडो, जिसमें लेखक डॉ. हेज ताब्यो द्वारा संकलित शैमानिक छंद और लोककथाएँ शामिल हैं।

अपातानी जनजाति के बारे में:

- अपातानी, जिन्हें तनव, अपा और अपा तानी के नाम से भी जाना जाता है, एक जातीय समूह है जो भारत में अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबांसी जिले की जीरो घाटी में रहते हैं।
- वे अपनी उन्नत कृषि पद्धतियों और भूमि प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं, जिसने उन्हें पूर्वोत्तर भारत में अधिक उन्नत आदिवासी समाजों में से एक बनने में मदद की है।
- अपातानी ने 1960 के दशक से अपने पहाड़ी इलाकों में एकीकृत चावल-मछली पालन का अभ्यास किया है।
- वे एक अभिनव धान-सह-मछली पालन प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें उनकी लगभग 48.38% भूमि इस पद्धति के लिए समर्पित है।
- वे अपने चावल की छतों के बीच से चैनल भी बनाते हैं ताकि वे चावल के साथ-साथ कैटफ़िश और कार्प भी उगा सकें।
- अपातानी लोग तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं।
- अपातानी लोग सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं और उनके लगभग 20 अलग-अलग देवता हैं।
- वे ईसाई धर्म में भी विश्वास करते हैं और कुछ ने इन सभी मान्यताओं को एक साथ मिला दिया है।
- वे ड्री, म्योको, यापुंग और मुरुंग जैसे प्रमुख त्यौहार मनाते हैं।

सुर्खियों में स्थल

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव-स्तरीय बैठक शुक्रवार (5 जुलाई 2024) को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (राजधानी: किंशासा)

- **स्थान**: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है, जो मध्य अफ्रीका में स्थित है।
- **राजनितिक सीमाएँ:** कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमाएँ युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया (पूर्व), मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण सूडान (उत्तर), जाम्बिया (दक्षिण-पूर्व), अंगोला (दक्षिण-पश्चिम) के साथ साझा होती हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) का सबसे ऊँचा स्थान मार्गेरिटा पीक है।
- विश्व की सबसे लम्बी नदियों में से एक कांगो नदी इस देश से होकर बहती है।
- इस देश में कटंगा पठार एक समृद्ध खनन क्षेत्र माना जाता है, जो कोबाल्ट, तांबा, टिन, रेडियम, यूरेनियम और हीरे की आपूर्ति करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) का सदस्य है।

भाषा: इस देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन अन्य भाषाओं में किंतुबा, लिंगाला, स्वाहिली और शिलुबा शामिल हैं।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में किन संगठनों ने जहाज़ प्रक्षेप पथ पूर्वानुमान उपकरण के विकास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? – **भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटी बॉम्बे)**
- स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने वाले उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था, जिसे बाद में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था? – **पिंगली वेंकैया**
- हाल ही में, भारत अमेरिका निर्मित स्ट्राइकर इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (आईसीवी) के लिए किन क्षेत्रों में परीक्षण करने जा रहा है? – **लद्दाख और राजस्थान**
- कर्नाटक राज्य सरकार ने किस नदी के प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति गठित की है? – **कावेरी नदी**
- अहोम युग के 'मोइदम', जो शाही परिवारों के विश्राम स्थल हैं, असम के किस जिले में स्थित हैं? – **चराईदेव**